

श्रम क०सं०-72/2026-1150

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक, लखीसराय के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से कुल राशि: रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए), अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	स्व० लखन मांझी, 47, मंगल मांझी, अनु० जाति	उर्मिला देवी, (पत्नी)	292 29.04.2026	ग्रा०-लहुआरा, पो०-प्रतापपुर, था०+प्र०-हलसी, जिला-लखीसराय, 9334790783	11809652 312	SBI SBIN00045 74	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर का कार्य
2	स्व० निरज कुमार, 19, जितेन्द्र मांझी, अनु० जाति	जितेन्द्र मांझी, (पिता)	293 29.04.2026	ग्रा०-बहरावों, पो०-सावनखैरमा, था०+प्र०-हलसी, जिला-लखीसराय, 7462082030	31140131 148402	BGB PUNB0MB GB06	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर का कार्य
3	स्व० अनिता देवी, 35, विश्वनाथ दास, अनु० जाति	विश्वनाथ दास, (पति)	304 30.04.2026	ग्रा०-संतर्त मोहल्ला लखीसराय, पो०+था०-लखीसराय, प्र०-लखीसराय सदर, जिला-लखीसराय, 7549811610	30430100 006056	BARB0LA KHIS	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर का कार्य

कुल: रु०/-1,50,000/-

(एक लाख पचास हजार रुपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-72/2026-1150

पटना, दिनांक :- १३.०४/०४/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, लखीसराय/उप श्रमायुक्त,

लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

24/08/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक